मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 9164/NREGS-MP/NR-6/2009 भोपाल दिनांक 16 जुलाई, 2009

प्रति,

कलेक्टर (समस्त 50 जिले)
मध्यप्रदेश।

विषयः—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत माह जुलाई—अगस्त 2009 में विशेष ग्राम सभा आयोजित किए जाने बाबत।

संदर्भः—1. श्रीमती अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली का अर्द्ध शासकीय पत्र क्र. D.ONo.J-16012/1/09-NREGA, दिनांक 01.07.09

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद का पत्र क्र. 8968/NREGA-MP/NR-6/2009, भोपाल, दिनांक 11.07.09

संदर्भ क्रमांक 1 में उल्लेखित भारत सरकार के पत्र के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत किए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण दिनांक 15.7.09 से 31.8.09 के बीच एक अभियान चलाकर करने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में संदर्भ क्रमांक 2 में उल्लेखित पत्र के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

2/ सामाजिक अंकेक्षण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची (1) की कंडिका 13 में दिए गए उपबन्धों के अनुसार दिनांक 15.07.09 से 31.08.09 के बीच एक अभियान के रूप में प्रदेश के सभी ग्रामों में चलाया जाए। इस हेतु निम्नानुसार दो विशेष ग्राम सभायें आयोजित की जाएं :—

(क) प्रथम विशेष ग्राम सभा में मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 7—क तथा मध्यप्रदेश ग्राम सभा (समितियों के सम्मिलन, कामकाज के संचालन की प्रक्रिया तथा सम्बद्ध विषय) नियम 2005 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए ग्राम सभा के द्वारा एक तदर्थ समिति जिसका नाम **''सामाजिक संपरीक्षा समिति''** होगा, का गठन किया जावेगा। यह तदर्थ समिति राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों में से चयन कर बनाई जावेगी जिसमें कम से कम एक तिहाई महिला सदस्य होंगी। इस तदर्थ समिति का गठन मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6—क के अनुसार ग्राम सभा का विशेष सम्मेलन आयोजित कर किया जावेगा। यह कार्रवाई दिनांक 29.07.09 के पूर्व संपन्न कर ली जाए। मध्य प्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 के नियम 4 के अनुसार इस सम्मिलन की सूचना सम्मिलन की तारीख से कम से कम 07 दिन पूर्व जारी की जाना होगी। अतः ऐसी सूचना दिनांक 20.07.09 तक जारी कर दी जाए।

(ख) द्वितीय विशेष ग्राम सभा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत किए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जावेगा। अधिनियम की अनुसूची (1) की कंडिका 13 (ख) (ii) की अपेक्षा अनुसार सामाजिक अंकेक्षण के कार्यक्रम की

घोषणा जिला कार्यक्रम अधिकारी या कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा कम से कम 30 दिन पूर्व की जाना है। अतः सामाजिक अंकेक्षण के लिए द्वितीय विशेष ग्राम सभा के कार्यक्रम की घोषणा दिनांक 17.07.09 तक जारी कर निर्धारित कार्यक्रम अनुसार द्वितीय विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाए। द्वितीय विशेष ग्राम सभा के सम्मिलन के लिए भी मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 के नियम 4 के अनुसार सम्मिलन की सूचना सम्मिलन की निर्धारित तिथि के कम से कम 07 दिन पूर्व जारी करना सुनिश्चित किया जाए।

(इन्द्रनील शंकर दाणी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क. 9165 /NREGS-MP/NR-6/2009 भोपाल दिनांक 16 जुलाई, 2009

प्रतिलिपि

1. संभागायुक्त संभाग रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, नर्मदा भवन अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर आावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. उपायुक्त (विकास) संभागायुक्त कार्यालय रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग की ओर सूचनार्थ ।

(इन्द्रनील शंकर दाणी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग